न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री वीरमाराम़ ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 118/2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ठाकराराम पुत्र जीयाराम जाति जाट निवासी भांभुओं की बेरी तहसील सिणधरी		1. खुमाराम पुत्र जेताराम 2. चेनाराम पुत्र जेताराम 3. खेताराम पुत्र अमराराम 4. तुलछाराम पुत्र अमराराम 5. वाली पत्नि अमराराम 6. ठाकरा पुत्र राउ जाट निवासी भांभुओं की बेरी तहसील सिणधरी 7. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सड़ा 8. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.श्री चिमनसिंह ,वकील विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 08 की ओर से उपस्थित।

4.विप्रार्थी संख्या 03 से 7 एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक– 11.01.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 558 रकबा 1.8526 हैक्टयर ग्राम भांभुओं की बेरी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है, जिससे लगती हुई विप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

561 रकबा 10.5736 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 3 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 559 रकबा 1.0760 हैक्टयर आई हुई है। प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत से नेहरों की ढाणी–भाटाला डामर सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेतों में से चल रहे कदीमी रूप से प्रचलित मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के लिए आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में विप्रार्थीगण की खातेदारी में होने से बरसात के मौसम में रास्ते की उक्त भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्व कर देते है, जिससे दोनों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। अतः प्रार्थी ने आवेदन के सलंग्न प्रसतुत नक्शा परिशिष्ठ अ में बरंग लाल से दर्शित भूमि सरकारी में गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 555 की भूमि से गै.मु. गोवा तक रास्ता पहले से उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के एक साल बाद मौका रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से भी स्पष्ट है कि उसके पास आवागमन का विकल्प मौजूद है। प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के खेतों की भूमि में से रास्ते का आवेदन उनके खातेदारी खेतों को खराब करने की बदनीयत से द्वेशवष प्रस्तुत किया है तथा खसरा नम्बर 555 के खातेदारों को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन गलत तथ्यों पर आधारित होने एवं औचित्य–विहीन होने से मय खर्चा खारिज किया जावे। विप्रार्थी सं. 3 से 7 बावजूद नोटिस के उपस्थित नही हुए।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शे, विवादित भूमि सहित प्रस्तावित रास्ते के रूट की जमाबन्दियां प्रस्तुत की तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नोखड़ा से आवेदन के तथ्यों के संबंध में मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी के मौजा भांभूओं की बेरी तहसील नोखड़ा अवस्थित खातेदारी खेत ख.नं. 558 रकबा 1.3526 हैक्टयर [illegible] विप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 561 रकबा 10.5736 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 3 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 559 रकबा 1.0760 हैक्टयर आई हुई है। प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत से नेहरों की ढाणी–भाटाला डामर सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेतों में से चल रहे कदीमी रूप से प्रचलित मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के लिए आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में विप्रार्थीगण की खातेदारी में होने से बरसात के मौसम में रास्ते की उक्त भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्व कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

देते है, जिससे दोनों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। अतः प्रार्थी ने आवेदन के सलंग्न प्रसतुत नक्शा परिशिष्ठ अ में दर्शित भूमि अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण को अदा किये जाने हेतु सहमत है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस है कि कोई रास्ता धारा 251 ए राज.का.अधि. के प्रावद्यानों के तहत उसी स्थिति में स्वीकृत किया जाता है, जहां आवेदक के पास अपनी कृषि जोत से सड़क तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध न हो। जबकि ख.नं. 555 में पूर्वतः उपलब्ध रास्ता है जिस पर प्रार्थी कदीमी रूप से गैर मुमकीन गोवा तक अबाद्य रूप से आवागमन करता आ रहा है, किंतु विप्रार्थीगण की अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए बिना ख.नं. 555 के खातेदारान को पक्षकार बनाये, विप्रार्थी सं. 1 से 6 के खातेदारी खेतों में से रास्ते की मांग की है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से गलत तथ्यों एवं तथ्य छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया यह आवेदन काबिल खारिज होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी विवादित भूमि ख.नं. 558 रकबा 1.8526 हैक्टयर भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और अपने उक्त खेत से नेहरों की ढाणी–भाटाला सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 559 व 561 में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता होना बताकर उक्त रास्ते की भूमि गैरमुमकीन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार नोखड़ा की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता सड़क तक प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यतिंक आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है और आवागमन के लिए प्रयुक्त हो रही है। रास्ते की चौड़ाई 4 गट्ठा है और ख.नं. 561 में रास्ते की लम्बाई 170 गट्ठा व प्रभावित रकबा 1.14 बीघा तथा ख.नं. 559 में रास्ते की लम्बाई 18 गट्ठा ओर प्रभावित रकबा 0.04 बीघा (4 बिस्वा) है। चूंकि रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले में प्रभावित खातेदारान को उनके खसरे की प्रचलित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि भुगतान करवाने का प्रावद्यान है और [illegible] खसरों की डी.एल.सी. दर 31935/– रूप्ये प्रति बीघा है। अतः खसरा नम्बर 561 [illegible] खातेदारों को प्रभावित रकबे 1.14 बीघा के बदले 108579/– रूप्ये तथा खसरा [illegible] 559 के खातेदारों की प्रभावित 0.04 बीघा भूमि के बदले 12774/– रूप्ये क्षतिपूर्ति के रूप मे प्रार्थी से दिलवाये जाने है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास प्रस्तावित रास्ता की आवागमन का इकलौता विकल्प है और इसकी उसे आत्यंतिक आवश्यकता है। जहां तक विप्रार्थी सं. 1 व 2 की खसरा नम्बर 559 के संबंध में राजस्व वाद विचाराधीन होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

की दलील का प्रश्न है, रास्ते का आदेश पारित होने पर प्रभावित खसरे में पक्षकारान के धारित हिस्से के अनुसार प्रत्येक को भुगतान हो जायेगा तथा विभाजनात्मक वाद के निर्णीत होने पर रास्ते से शेष बची भूमि उनके वास्तविक हिस्सानुसार विभाजित हो जायेगी। इसमें प्रस्तुत आवेदन की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम भांभुओ की बेरी तहसील नोखड़ा की खसरा नम्बर 558 रकबा 1.8526 हैक्टयर से नेहरों की ढाणी–भाटाला सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 561 रकबा 10.5736 हैक्टयर भूमि मे से 170 गट्ठा लम्बा व 4 गट्ठा चौड़ा, जिसका रकबा 1.14 बीघा तथा विप्रार्थी सं. 3 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 559 रकबा 1.0760 हैक्टयर भूमि में से 18 गट्ठा लम्बा व 4 गट्ठा चौड़ा, जिसका रकबा 0.04 बीघा होगा, रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी सं. 1 से 6 को देय क्षतिपूर्ति राशि 121353/– अक्षरे एक लाख इक्कीस हजार तीन सौ तरेपन राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार नोखड़ा को स्वीकृति रास्ते की भूमि सरकारी खाते में गैरमुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद एवं तद्नुसार लट्ठा नक्शा मे तरमीम सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा जरिये पत्र कमांक भू.अ./2022/1429 दिनांक 22.08.2022 प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नोखड़ा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रभावित खातेदारान को उनके प्रभावित भूमि में निहित वास्तविक हिस्सानुसार करें।

(वीरमाराम.)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:19 IST
Reason: SelfAttested